न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 536 सन 2026

(CNR No. UPFT–010013402026)

विकास कुशवाहा पुत्र स्व0 मुखराम कुशवाहा निवासी ग्राम मिराई थाना औंग जनपद फतेहपुर उ0प्र0।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 03 सन 2026
एस0टी0नम्बर: 267 सन 2026
धारा: 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना: औंग, जनपद फतेहपुर।

03.04.2026 :

आवेदक/अभियुक्त विकास कुशवाहा की ओर से उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 03 सन 2026, सत्र परीक्षण संख्या 267 सन 2026 अन्तर्गत धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना औंग जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से दीपक द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गंगा प्रसाद कुशवाहा ने दिनांक 07.01.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि उसने अपनी पुत्री सीता देवी का विवाह दिनांक 18.02.2025 को विकास कुशवाहा पुत्र स्व0 मुखराम के साथ किया था और अपनी

हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर पुत्री को विदा किया था किन्तु पुत्री के ससुरालीजन पति विकास कुशवाहा व सास विमला देवी व्यवसाय के लिये पांच लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे एवं उसे बार बार प्रताडित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 07.01.2026 को शाम के समय पति विकास कुशवाहा व सास विमला देवी ने फांसी लगाकर उसकी पुत्री सीता देवी की हत्या कर दिया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में साजिश व षडयंत्र के तहत झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विधिक सलाह मशविरा करके विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक द्वारा कभी भी किसी प्रकार से न तो कोई अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी, न ही कभी प्रताडित किया गया और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए वादी की पुत्री सीता देवी की फांसी लगाकर हत्या कारित किया। मृतका विवाह के कुछ दिन बाद से ही आवेदक के ऊपर आवेदक की मॉ विमला देवी से अलग गांव से बाहर शहर में रहने के लिए दबाव बनाने लगी जिसको आवेदक द्वारा बहुत समझाया गया किन्तु मृतका अपने जिद्दी स्वभाव के कारण नहीं मानी और जिद्दी पूरी न होने पर स्वयं आत्महत्या कर लिया। प्राथमिकी एवं शव विच्छेदन आख्या व बयानों में परस्पर विरोधाभास है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक दिनांक 09.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा मृतका का पति एवं मामले का प्रमुख अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्ता द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री सीता देवी का विवाह आवेदक/अभियुक्त विकास कुशवाहा के साथ होने के उपरान्त से आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्ता द्वारा अतिरिक्त दहेज में व्यवसाय के लिए पॉच लाख रूपये की मांग की जाती एवं अतिरिक्त दहेज की उक्त मांग के लिए मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीडित व प्रताडित किया जाता था और उक्त मांग एवं प्रताड़ना के क्रम में दिनांक 07.01.2026 को उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर और विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्ता के

विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सह अभियुक्ता विमला देवी की जमानत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्त के साथ वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज में पॉच लाख रूपये की मांग की एवं उक्त मांग हेतु उसे प्रताडित किया तथा उसकी दहेज हत्या कारित किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा गंगाप्रसाद कुशवाहा की पुत्री सीता देवी का विवाह आवेदक/अभियुक्त विकास कुशवाहा के साथ दिनांक 18.02.2025 को होने, शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर विवाद करने, विवाह के बाद आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्ता विमला देवी द्वारा अतिरिक्त दहेज में व्यवसाय के लिए पॉच लाख रूपये की मांग करने तथा अतिरिक्त दहेज की उक्त मांग के कारण वादी की पुत्री को प्रताडित करने एवं अतिरिक्त दहेज की उक्त मांग व प्रताड़ना के क्रम में दिनांक 07.01.2026 को उसकी दहेज मृत्यु कारित करने का उल्लेख किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों/मृतका सीता देवी की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोट पायी गयी है –

> Ligature Mark of Size 25cm X 2cm is Obliquely Placed above Thyroid cartilage with the gap of 5cm behind the Neck, around the ligature margin, below from right Ear 5cm, below from Chin 6cm and below from Left Ear 4cm. Base of ligature hard, leathery and parchment like.
> On dissection ligature mark was dry, whitish and glistening.

शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व फांसी पर लटकने से श्वास अवरोध (Cause of death is Asphyxia as a result of ante mortem Hanging) से होना दर्शित किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार मृतका सीता देवी का विवाह दिनांक 18.02.2025 को आवेदक/अभियुक्त विकास कुशवाहा के साथ हुआ था और मृतका सीता देवी की मृत्यु दिनांक 07.01.2026 को असामान्य परिस्थितियों में उसकी ससुराल में हुई है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के ग्यारह माह के अन्दर पर असामान्य परिस्थितियों में उसकी ससुराल में हुई है। वादी मुकदमा गंगाप्रसाद कुशवाहा सहित अन्य साक्षीगण रामप्रसाद उर्फ छोटू, रामबाबू आदि ने विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदक/

अभियुक्त सहित सह अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को मृतका का पति होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विकास कुशवाहा की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 03.04.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.04.04 16:30:43 +05'30'